

2025/1074
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

लक्ष्मीनारायण शास्त्रि बनाम तहसीलदार धोद
किस्म मुकदमा 136 CR मु.नं. 577 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11 12 25	<p>प्रार्थीगण लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा राम, गीता पत्नी केशर देव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 206 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा, गीता देवी पत्नी केशाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा राम, गीता पत्नी केशर देव है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थीगण के नाम की उक्त प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा राम, गीता पत्नी केशर देव अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा, गीता देवी पत्नी केशाराम के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा राम, गीता पत्नी केशर देव दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भूअ./2025/1810 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नागवा पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 206 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा, गीता देवी पत्नी केशाराम के स्थान पर प्रविष्टियां क्रमशः लक्ष्मीनारायण पुत्र मुकंदा राम, गीता पत्नी केशर देव दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भूअ./2025/1810 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>

